



2026:AHC:58985

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11389/2026

विशाल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: अमित कुमार, कल्पिता यादव

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन, इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि निम्नलिखित मामलों में आवेदक को निजी मुचलका एवं दो जमानतदारों के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाए:-

"(i) मुकदमा अपराध संख्या 536 वर्ष 2017, धारा 302, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर।

(ii) मुकदमा अपराध संख्या 239 वर्ष 2014, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) मुकदमा अपराध संख्या 104 वर्ष 2017, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर।

(iv) मुकदमा अपराध संख्या 537 वर्ष 2017, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर।

(v) मुकदमा अपराध संख्या 363 वर्ष 2017, धारा 392, 411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर।

(vi) मुकदमा अपराध संख्या 382 वर्ष 2017, धारा 307, 392, 411, 504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर।

(vii) मुकदमा अपराध संख्या 153 वर्ष 2017, धारा 147, 148, 149, 307, 332, 336, 353 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर।

(viii) मुकदमा अपराध संख्या 382 वर्ष 2017, धारा 392, 411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना हल्दौर, जनपद बिजनौर।

(ix) मुकदमा अपराध संख्या 571 वर्ष 2017, धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर।

(x) मुकदमा अपराध संख्या 357 वर्ष 2017, धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर।

(xi) मुकदमा अपराध संख्या 340 वर्ष 2017, धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता, थाना हेमपुर दीपा, जनपद बिजनौर।

(xii) मुकदमा अपराध संख्या 219 वर्ष 2017, धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता, थाना हेमपुर दीपा, जनपद बिजनौर।



(xiii) मुकदमा अपराध संख्या 184 वर्ष 2017, धारा 394, 511 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर।

(xiv) मुकदमा अपराध संख्या 179 वर्ष 2017, धारा 392, 411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर।

(xv) मुकदमा अपराध संख्या 03 वर्ष 2018, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक दिनांक 01.01.2018 से कारागार में निरुद्ध है। वह अत्यंत निर्धन व्यक्ति है और प्रत्येक वाद में दो जमानतदारों की व्यवस्था करने में असमर्थ है। अंतिम जमानत आदेश दिनांक 30.01.2026 को आवेदक के पक्ष में पारित हुआ था, किन्तु प्रत्येक वाद में दो जमानतदारों की व्यवस्था न कर पाने के कारण वह अब तक कारागार में निरुद्ध है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8914-8915/2018 (हनी निषाद @ मोहम्मद इमरान @ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) पर निर्भरता व्यक्त की, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त वाद का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिया कि किसी एक वाद में प्रस्तुत जमानतदार सभी वादों में जमानतदार के रूप में पर्याप्त माने जाएंगे।

5. बार में किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए तथा उक्त निर्णय के अवलोकन के उपरांत यह निर्देशित किया जाता है कि एक वाद में प्रस्तुत दो जमानतदारों को उपर्युक्त सभी वादों में जमानतदार के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि एक निजी मुचलका प्रस्तुत किया जाए। आवेदक द्वारा किसी एक वाद में प्रस्तुत किया गया निजी मुचलका उपर्युक्त सभी वादों में स्वीकार किया जाएगा।

6. आवेदन निस्तारित किया जाता है।



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।